

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

सा.का.नि.150(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दी गई जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, बरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016 को अनुमोदन देती है।

उक्त संशोधित विनियमावली इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एघ-11011/1/2012-पीई-1]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

3

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

अनुसूची

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, बरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, बरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 को फिर से संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

- (1) (i) इस विनियमावली का नाम "जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, बरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016" होगा।
- (ii) यह विनियमावली महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 एवं 132 के उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक केंद्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।
- (2) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, बरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 के विनियम-30 के उपबंध में "किसी निर्णय के लिए" शब्दों के बाद "जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा" जोड़ा जाएगा।

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली भारत के राजपत्र में दि. 21 जनवरी, 2011 के सा.का.नि. 43(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2016

G.S.R.150(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. H-11011/1/2012-PE-1]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

SCHEDULE

Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Jawaharlal Nehru hereby makes the following regulations further to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotions) Regulations, 2011, namely :

1. (i) These Regulations may be called as the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.
2. In the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in Regulation 30, at the end of the provision, after the words, "for a decision", the words, "whose decision thereon shall be final and binding" shall be added.

FOOT NOTE : Principal Regulations published vide GSR 43(E) dated 21st January, 2011.